वित्त निर्देश 8/2024

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक 146/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/3/2024

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः–छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अन्तर्गत बकाया वेतन का भुगतान

संदर्भः–वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 403/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 8.8.2018
वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 487/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 11.10.2019
वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 226/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.03.2021
वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 807/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 01.12.2021
वित्त विभाग का ज्ञापन क्र. 679/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 11.10..2022

––0––

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों के लिए दिनांक 01 जनवरी, 2016 से छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 लागू किया गया है, तथा दिनांक 1.7.2017 से नियमित भुगतान किया जाकर 1 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक 18 माह के बकाया वेतन के भुगतान के संबंध में पृथक निर्देश जारी करने का निर्णय लिया गया है ।

2/ राज्य शासन द्वारा शासकीय सेवकों को दिनांक 01 जनवरी, 2016 से दिनांक 30 जून, 2017 की अवधि के बकाया स्वत्वों (वेतन एरियर्स) का नगद भुगतान 6 समान वार्षिक किश्तों में करने का निर्णय लिया गया है। इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 403/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 8.8.2018 द्वारा बकाया वेतन की प्रथम किश्त, ज्ञापन क्र. 487/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 11.10.2019 द्वारा द्वितीय किश्त, ज्ञापन क्र. 226/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 28.03.2021 द्वारा तृतीय किश्त, ज्ञापन क्र. 807/एफ 2016–04–03303/वित्त/ नियम/चार, दिनांक 01.12.2021 द्वारा चतुर्थ किश्त तथा ज्ञापन क्र. 679/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 11.10.2022 द्वारा बकाया वेतन के पॉचवें किश्त के भुगतान हेतु आदेश जारी किए गए हैं।

3/ राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि छठवें एवं अंतिम किश्त के रूप में माह अप्रैल 2017 से माह जून 2017 तक के बकाया वेतन का भुगतान किया जाए।

4/ उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि हेतु अवशेष वेतन देयक तैयार कर कोषालय संहिता भाग–1 के सहायक नियम 268 के प्रावधानों का पालन करते हुए आहरण किया जाए ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

16/3/2024
(राजेश कुमार सिसोदिया)
संयुक्त सचिव

पृ.क्रमांक147/एफ 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/3/2024

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नवा रायपुर, अटल नगर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर
6. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर/नवा रायपुर
7. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
8. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
9. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, नवा रायपुर, अटल नगर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, सेक्टर–19, नवा रायपुर, अटल नगर
13. छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, विविध सेवा मार्ग, बिलासपुर
14. समस्त अपर सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव /विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
15. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर, अटल नगर
16. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
17. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
18. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इन्द्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
19. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
20. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
21. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
22. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

23. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नवा रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट **www.cgfinance.nic.in** में अपलोड करने हेतु

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग